

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित कार्मिक (व्याख्याता एवं समकक्ष) जिनको उनके नाम के सामने अंकितानुसार विभागीय जांच बकाया रखते हुए बहाल किया गया है, का पदस्थापन तत्काल प्रभाव से कॉलम संख्या-05 में अंकितानुसार किया जाता है-

क्रम	नाम कार्मिक	विषय	बहाल किये जाने का दिनांक	नव पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	जिला
1	राजेश पंवार	इतिहास	21.10.2019	श्रीमोहनगढ (08160100749)	जैसलमेर
2	मनीष राजपुरोहित	वाणिज्य	11.10.2019	संघवी लहरीदेवी लढमल मरडिया जैन वि, चितलवाना - सांचौर (08180800130)	जालोर

उक्त को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से अपनी आगामी उपस्थिति नवपदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित को दें। सम्बन्धित शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही करेंगे। सम्बन्धित तत्काल पालना करावें।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान बीकानेर

दिनांक-23/10/2019

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/वाणि-इति/एपीओ-पदस्थापन/2018-19

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 उप शासन सचिव-प्रथम शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
- 3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 5 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रभावी मोनिटरिंग करें।
- 6 संबन्धित संस्था/शाला/प्रधानाचार्य को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक
- 8 अनुभाग अधिकारी-सी-8/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर